उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 28 फाल्गुन, शक संवत्, 1937
(दिनांक : 18 मार्च, 2016)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)

2. निधन के निदेश।

3. मुख्यमंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा-90 की उपधारा (3) के विहित प्राविधान के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रानिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2012" को सदन के पटल पर रखेंगे।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. (मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी) सभापति, सरकारी आश्वासन समिति, उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति का बाईसवां, तेईसवां एवं चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. (मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी) सभापति, याचिका समिति, उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिदेवन प्रस्तुत करेंगे।

7. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के स्याल्दे में मिनी स्टेडियम का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री चन्दन सिंह ग्राम कहड़गांव, पो0 तामाठौन, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा "जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के ग्राम नलई से साधूनगर-लामाखेड़ा एवं सिसईखेड़ा सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री किशन सिंह कार्की, ग्राम नलई, तहसील सितारगंज, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा ''जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता की ग्राम सभा चंदेली में जूनियर हाईस्कूल से पुरनापुर तक लगभग 3 किमी0 सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री बलदेव सिंह, ग्राम चंदेली, पो-नौगवा, तहसील खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा ''जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के ग्राम चारूबेटा से चांदा तक लगभग 4.50 किमी0 सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री गोपाल सिंह राणा, ग्राम चांदा, तहसील खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहुली का इन्टर स्तर पर उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री प्रमोद कुमार परिहार, निवासी ग्राम व पो0 बहुली, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम कठायत वाडा में नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री मनीष पाण्डे, निवासी ग्राम कठायत वाडा पो0 बागेश्वर, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम माडलसेरा में पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री जीवन राम, निवासी ग्राम माडलसेरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दर्शन सिंह, निवासी भरतपुरी, रामनगर, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्री दान सिंह भण्डारी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल की ग्राम पंचायत नौल की अधूरी पेयजल योजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री हरीश चन्द्र जोशी, ग्राम प्रधान, निवासी नौल, विकास खण्ड भीमताल, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा ''जनपद अल्मोड़ा की ग्राम सभा कुसिया चौन में स्वीकृत पशु चिकित्सालय के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री हर सिंह रावत, पूर्व प्रधान, निवासी ग्राम कुसिया चौन, पो0 बवाडी किचार, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. श्री दान सिंह भण्डारी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल की ग्राम पंचायत पिनरौ की पम्पिंग योजना का पुनः संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री उमेश पलडिया, निवासी ग्राम पिनरौं, पो0 बानना, विकासखण्ड भीमताल जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

18. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के ग्राम चिनौली एंव रैखोली में ए0एन0एम0 सेन्टर स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती देवकी देवी, निवासी ग्राम रैखोली, पो0 वौडी, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

19. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के गरुड बैजनाथ में टैक्सी स्टैण्ड की स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री शिव सिंह, निवासी ग्राम भगरतोला, पो0 घौनाई, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

20. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

21. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

22. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

23. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

24. वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) उद्यान मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2531356 हजार (रूपये दो सौ तिरपन करोड़ तेरह लाख छप्पन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(2) शिक्षा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 69197934 हजार (रूपये छः हजार नौ सौ उन्नीस करोड़ उन्यासी लाख चौंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(3) वन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 8015342 हजार (रूपये आठ सौ एक करोड़ तिरपन लाख बयालीस हजार मात्र** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(4) पेयजल मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 14618733 हजार (रूपये एक हजार चार सौ इक्सठ करोड़ सत्तासी लाख तैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(5) कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 9260433 हजार (रूपये नौ सौ छब्बीस करोड़ चार लाख तैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(6) पशुपालन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2630861 हजार (रूपये दो सौ तिरसठ् करोड़ आठ लाख इक्सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(7) श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2282738 हजार (रूपये दो सौ अठाईस करोड़ सत्ताईस लाख अड़तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(8) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 497018 हजार (रूपये उन्नपचास करोड़ सत्तर लाख अठ्ठारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(9) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1845800 हजार (रूपये एक सौ चौरासी करोड़ अठावन लाख मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(10) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2165462 हजार (रूपये दो सौ सोलह करोड़ चौवन लाख बासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(11) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 239211 हजार (रूपये तेईस करोड़ बयानवे लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(12) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 78767 हजार (रूपये सात करोड़ सतासी लाख सड़ठस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(13) गृह मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 15958787 हजार (रूपये एक हजार पांच सौ पंचानवे करोड़ सत्तासी लाख सत्तासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(14) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 739696 हजार (रूपये तिहत्तर करोड़ छियानवे लाख छियानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(15) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 14976089 हजार (रूपये एक हजार चार सौ सत्तानवे करोड़ साठ लाख नवासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(16) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 4963014 हजार (रूपये चार सौ छियानबे करोड़ तीस लाख चौदह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(17) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 23062724 हजार (रूपये दो हजार तीन सौ छः करोड़ सत्ताईस लाख चौबीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(18) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 3562417 हजार (रूपये तीन सौ छप्पन करोड़ चौबीस लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(18) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1241614 हजार (एक सौ चौबीस करोड़ सोलह लाख चौदह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(20) समाज कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 15519146 हजार (रूपये एक हजार पांच सौ इक्यावन करोड़ इक्यानबे लाख छियालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(21) समाज कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 4550093 हजार (रूपये चार सौ पचपन करोड़ तिरानबे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

25. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

26. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करेंगे।

27. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

28. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

29. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

30. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

31. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

32. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

33. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

34. प्रदेश में गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत छात्राओं को देय लाभ से वंचित किये जाने के संबंध में, श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर, समाज कल्याण मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

35. प्रदेश के लगभग तीस हजार से अधिक टी0ई0टी0 पास प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

36. जनपद ऊधमसिंह नगर, जिला मुख्यालय रूद्रपुर के राजस्व ग्राम जगतपुरा के अन्तर्गत राजकीय उद्यान फार्म व 31वीं वाहिनी पी0ए0सी0 के मध्य स्थित सड़क सम्पर्क मार्ग पुनः खुलवाने के संबंध में, श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

37. प्रदेश में आन्दोलनकारियों एवं आश्रितों को आरक्षण दिये जाने के संबंध में, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक :17 मार्च, 2016

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

प्रथम सत्र, 2016
का द्वितीय शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

शुक्रवार, 28 फाल्गुन, शक संवत्, 1937

(दिनांक : 18 मार्च, 2016)

नत्थी–''क'

तारांकित प्रश्न

श्री ललित फर्स्वाण
04.02.2016

*01. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में श्रम कानूनों के अन्तर्गत एक श्रमिक से नियोक्ता द्वारा कितना घण्टा काम लिया जाता है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सिडकुल में स्थापित उद्योगों में श्रम कानून के अनुपालन हेतु सरकार ने कोई व्यवस्था की है? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? **श्रम**

श्री मदन कौशिक
06.02.2016

*02. क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश् में पंचवर्षीय योजना का आकार कितना है तथा गत पंचवर्षीय योजना से कितना अधिक है? **नियोजन**

हाजी सरवत करीम अंसारी
17.02.2016

*03. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के बच्चों को उच्च शिक्षा निःशुल्क देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ? **उच्च शिक्षा**

हाजी सरवत करीम अंसारी 17.02.2016	*04 क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रदेश में 01.01.2006 के बाद राजकीय सेवा में तैनात कार्मिकों/शिक्षकों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है और कर्मचारी एवं सरकार के अंश की कटौती को सी0पी0डी0 खाते में जमा किया जाता है?क्या सी0पी0डी0 खाते में जमा धनराशि को जी0पी0एफ0 की भॉति जरूरत पड़ने पर कब–कब निकाला जा सकता है? यदि इस संबंध में कोई शासनादेश निर्गत किया गया है तो सम्पूर्ण विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?	वित्त
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 17.02.2016	*05 क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे, कि प्रदेश सरकार के द्वारा वर्तमान समय में कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है तथा प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्यरत मजदूरों को निर्धारित मजदूरी चैक अथवा बैंक एकाउन्ट के माध्यम से मिल रही है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे, कि प्रदेश में मजदूरी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अन्य हित लाभ जैसे भविष्य निधि एवं कर्मचारी बीमा आदि के लाभ दिये जा रहे हैं? यदि हॉ , तो तत्संबंधी पूर्ण विवरण क्या है? यदि नहीं तो क्यों?	श्रम
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 17.02.2016	*06 **बहुविभागीय होने के आधार पर निरस्त** क्या नियोजन मंत्री अवगत है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से पिछले दशक में बड़ी तीव्र गति से पलायन में अत्यधिक वृद्धि हुई है ? जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के गॉव के गॉव खाली हो गये हैं ?क्या सरकार द्वारा पलायन को रोकने व स्थिर करने के लिए कोई नीति तैयार की गयी हैं? यदि हॉ, तो तत्सम्बन्धित पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?	नियोजन
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 17.02.2016	*07 क्या वित्त मंत्री अवगत है कि सेवा निवृत्त सैनिकों की पुनर्नियुक्ति की दशा में सेवा निवृत्ति के उपरान्त द्वितीय पेंशन अनुमन्य है ? यदि हॉ तो क्या पूर्व पेंशन एवं द्वितीय सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त सेवा निवृत्ति पर दोनों को मिलाकर पेंशन अनुमन्य है अथवा दोनों पेंशन समानुपातिक ढंग से अलग–अलग देय होगी ? तत्सम्बधी ब्यौरा क्या हैं ? यदि हॉ तो विवरण क्या है? यदि नहीं तो क्यों ?	वित्त
श्री आदेश चौहान 18.02.16	*08 क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि देश के कुछ राज्यों में विश्वकर्मा समाज के इण्टर पास लोहार व बढ़ई जाति के हुनरमंद लड़कों को सीधे मूल्यांकित करते हुए आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या उत्तराखण्ड सरकार भी इसी प्रकार की कोई व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन

श्रीमती विजय बड़थ्वाल 20.02.16	*09 क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के बेरोजगारों को वर्ष 2012 से वर्तमान समय तक कुल कितना बेरोजगारी भत्ता दिया गया है तथा जिलेवार कुल कितने बेरोजगारों को कितना धन आवंटित किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?	श्रम
श्री पुष्कर सिंह धामी 23.02.16	*10. क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित कल्याणी नदी को चैनेलाईज कर लगभग 50 एकड़ भूमि प्राप्त कर सिटी पार्क की स्थापना की जा चुकी है? यदि हॉ तो स्थापित की जा रही सिटी पार्क की अद्यतन स्थिति क्या है तथा इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक कितनी धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है? यदि नहीं तो अभी तक सिटी पार्क की स्थापना न किये जाने के क्या कारण हैं ?	औद्योगिक विकास
श्री ललित फर्स्वाण 04.02.2016	*11. क्या उद्योग मंत्री अगवत हैं कि क्या टाटा वैन्डर आटोलाईन लि0 कम्पनी रूद्रपुर में कार्यरत संविदा व दैनिक कर्मचारी जिनके सेवा के दौरान कार्य करते हुए हाथ पांव कट गये हों को श्रम नियमों के अनुसार मुआवजा प्रदान कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मुआवजे का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 02.03.2016	*12. क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लाभ में प्रदर्शन किए जाने के बावजूद जनपद हरिद्वार दुग्ध संघ को एन0डी0डी0बी0 के द्वारा अधिगृहीत कराए जाने के पीछे क्या कारण है? क्या यह सत्य है कि दुग्ध संघ हरिद्वार की प्रबन्ध समिति की बगैर सहमति के एवं जनपद हरिद्वार के पशुपालक तथा किसानों के विरोध के बावजूद सरकार द्वारा 20 वर्ष हेतु एन0डी0डी0बी0 के साथ अनुबन्ध किया जा रहा है? क्या सरकार जैसा कि कुमाऊँ हेतु व्यवस्था तय की गई है, की तर्ज पर ही दुग्ध संघ जैसी स्वायत्तशासी एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कार्यरत संस्था की व्यवस्था का सम्मान एवं वैधानिकता को दृष्टिगत रखते हए उक्त अनुबन्ध को नहीं करेगी? यदि नहीं तो क्यों ?	दुग्ध विकास
श्री ललित फर्स्वाण 03.03.2016	*13. क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नयी औद्योगिक नीति 2015 के प्राविधानों में पर्वतीय जिलों में पूर्व में स्थापित उद्योगों के उच्चीकरण व आधुनिकीकरण हेतु औद्योगिक नीति को संशोधित किया जायेगा? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ?	सूक्ष्म लघु एव मध्यम उद्योग

श्री चन्दन राम दास 09.02.2016	*14.	क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्वयं सेवी संस्थाओं को भी वी0टी0वी0 प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किये जाते हैं ? यदि हां, तो विगत 03 वर्षों में किन–किन संस्थाओं को वी0टी0वी0 सेन्टर आवंटन हुए है तथा क्या उक्त संस्थाओं की किसी प्रकार की जांच लम्बित है? यदि हां, तो उनके लम्बित भुगतान को रोके जाने का क्या कारण है तथा जांच के बाद भी संस्थाओं के भुगतान रोकने का क्या औचित्य है ?	प्रशिक्षण

अतारांकित प्रश्न

श्री पूरन सिंह फर्त्याल 18.02.2016	1.	क्या दुग्ध विकास मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र में गौ पालन स्वरोजगार का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में गौ पालन करना अत्यन्त कठिन है? क्या सरकार दुग्ध उत्पादकों की समस्या को देखते हुए उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र में दूध का बिक्री मूल्य 50 रूपये प्रति लीटर करने पर विचार करेगी? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	दुग्ध विकास
हाजी सरवत करीम अंसारी 19.02.2016	2.	क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार के ग्राम बसेड़ी खादर में संचालित धान सेलरों से कितना व्यापार कर प्राप्त हो रहा है? क्या उक्त ग्राम में धान सेलरों का संचालन करने वाले व्यक्तियों द्वारा नियमानुसार व्यापार कर सरकार को दिया जाता है? यदि हॉ तो सम्पूर्ण विवरण क्या है? यदि नहीं तो क्यों?	वित्त
श्री दान सिंह भण्डारी 20.02.16	3.	क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा में डिग्री कालेज न होने के कारण क्षेत्र के छात्र–छात्राऐं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं? क्या सरकार विकासखण्ड ओखलकाण्डा में एक डिग्री कालेज खोलने पर विचार कर रही हैं? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 20.02.16	4.	**तृतीय शुक्रवार के अतारांकित–2 में स्थानान्तरित** क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अवगत है कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत खेतीखान में आई0टी0आई0 भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हॉ तो क्या सरकार आई0टी0आई0 भवन का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में कराने पर विचार कर रही है? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यो?	श्रम एवं सेवायोजन

श्री पुष्कर सिंह धामी 23.02.16	5.	क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत है कि टैक्सटाईल पॉलिसी की स्वीकृति के पश्चात काशीपुर एवं जसपुर में टैक्सटाईल पार्क की स्थापना की जा चुकी है ? यदि हॉ तो उक्त पार्क की स्थापना में अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा कब–कब कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है? यदि नहीं तो टैक्सटाईल पार्क की अभी तक स्थापना न हो पाने के क्या कारण है ?	औद्योगिक विकास
कुॅवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" 25.02.16	6.	क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत है कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक–801 / मा0मु0मं0 / 15 तद्दिनांक 14.10.2015 के अनुसार जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–127 / 2014 द्वारा स्वीकृत दल्लावाला राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज को शासनदेश संख्या–1468(1) / xxiv(7)–01 / घो0 / 14टी0सी0 दिनांक 13 अक्टूबर 2015 के द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है? यदि हॉ तो क्या लोकहित में सरकार दल्लावाला ग्राम सभा द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही भूमि को अधिग्रहित कर इस राजकीय महाविद्यालय का निर्माण करेगी? यदि हॉ तो क्या सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घोषणाओं हेतु स्वीकृत बजट में उक्त घोषणा को सम्मिलित किया गया है? यदि हॉ तो कितनी धनराशि उक्त के अवस्थापना हेतु निश्चित की गई है तथा उक्त धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी?	उच्च शिक्षा
सरवत करीम अंसारी 26.02.16	7.	क्या वित्त मंत्री अवगत है कि प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों को वर्तमान में बेसिक वेतन एवं ग्रेड वेतन को जोडकर 13500 / –का भुगतान किया जा रहा है? क्या शिक्षक संगठनों की मॉग पर उक्त वेतन को बढ़ाकर 16290 / –करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	वित्त
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 15.02.2016	08.	**द्वितीय मंगलवार के अतारांकित –38 में स्थानान्तरित** क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट नगर की भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग लम्बे समय से की जा रही है? क्या सरकार मालिकाना हक दिलाने पर विचार कर रही है? यदि हॉ तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश जारी किया गया है ?	आवास
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 01.03.2016	09.	क्या वित्त मंत्री अवगत है कि शासनादेश संख्या–747 / XXXVII (6)–786–2013 / 2013 दिनांक 18 नवम्बर 2013 के आदेशानुसार उत्तराखण्ड कोषागार के सहायक लेखाकार एवं लेखाकारों का पुनरीक्षित वेतन का निर्धारण कर उन्हें दिनांक 09.11.2000 से आगे भुगतान कर दिया गया है किन्तु 01.01.1986 से 09.11.2000 तक के पुनरीक्षित वेतन का भुगतान अभी तक लम्बित है? यदि हॉ तो लम्बित अवशेषों का भुगतान कब तक किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?	वित्त

श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल 01.03.2016	**10.** क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत है कि ऋषिकेश नगर में एकमात्र महाविद्यालय स्वायत्तशासी घोषित होने के कारण छात्र/छात्राओं की सीमित संख्या में ही प्रवेश मिल पा रहा है व अधिकांश छात्र/छात्राऐं वहां प्रवेश में वंचित रहने से अपनी आगे की पढाई जारी रखने में परेशानी महसूस कर रहे है? यदि हॉ तो क्या सरकार इस ज्वलंत समस्या के निदान हेतु और महाविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है? यदि नहीं तो क्यों ?	उच्च शिक्षा
डॉ प्रेम सिंह राणा 18.02.16	**11.** क्या प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे, कि जनपद उधमसिंहनगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति महिला आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ? यदि हॉ तो क्या सरकार मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति महिला आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करेगी? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ?	प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 17.02.2016	**12.** क्या वित्त मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत तहसील लोहाघाट का उच्चीकरण किये जाने के दस वर्ष पश्चात भी जमीन की रजिस्ट्री लोहाघाट तहसील में न होकर जनपद चम्पावत में की जा रही है? क्या सरकार निबंधन कार्यालय खोलने पर विचार करेगी? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	वित्त
श्री महन्त दलीप रावत 23.02.16	**13.** क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड की महान विभूतियों के नाम पर विभिन्न प्रतिष्ठानों का नामकरण किया जायेगा? यदि हॉ तो क्या राजकीय महाविद्यालय जयहरीखाल का नाम स्वतंत्रता सैनानी व पूर्व सासंद भगत दर्शन जी के नाम पर रखा जायेगा? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	उच्च शिक्षा

नत्थी- "ख"

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अनुदान मांगों में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः- 29-औद्यानिक एवं रेशम, 11-शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, 27-वन, 13-जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास, 17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान, 28-पशुपालन, 16- श्रम एवं रोजगार, 08-आबकारी, 10-पुलिस एवं जेल, 14-सूचना, 15-कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध, 21- ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा, 22- लोक निर्माण, 23-उद्योग, 24-परिवहन, 30-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1 श्री अजय भट्ट 2 श्री तीरथ सिंह 3 श्री हरबंस कपूर 4 श्री बंशीधर भगत 5 श्री बिशन सिंह चुफाल 6 श्री मदन कौशिक 7 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 8 श्री हरभजन सिंह चीमा 9 श्री अरविन्द पाण्डे 10 श्री चन्दन राम दास 11 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 12 श्री चन्द्रशेखर 13 श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 14 श्री गणेश जोशी 15 श्री मालचन्द 16 श्री पुष्कर सिंह धामी 17 श्री राजेश शुक्ला 18 डा0 प्रेम सिंह राणा 19 श्री राजकुमार ठुकराल 20 श्री महावीर सिंह रांगड़ 21 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 22 श्री आदेश चौहान 23 श्री संजय गुप्ता 24 स्वामी यतीश्वरानन्द 25 श्री दलीप रावत 26 श्री पूरन सिंह फर्त्याल 27 श्री दान सिंह भण्डारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी–"ग"

कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 17 नवम्बर, 2016 की बैठक में दिनांकं 18 नवम्बर, 2016 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नवत रखे जाने की सिफारिश की है :–

नवम्बर, 2016

18 शुक्रवार (1)औपचारिक कार्य

(1)विधायी कार्य।

1.उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

2. सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । **(15मिनट)**

3. भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

4. उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । **(15मिनट)**

5. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । **(15मिनट)**

6. उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

7. उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

8. श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

9. उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतक परिसीमा विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

10.उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**

11.उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**